(2)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

शस्त्र वाद सं0- 177/2015

श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, पिता-स्व0 शिव कुमार सिंह, सा0-मिठेपुर,थाना-गरखा,जिला-सारण

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
03.09.2015	यह वाद आवेदक श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, पिता-स्व0 शिव कुमार सिंह, सा0-मिठेपुर, थाना-गरखा, जिला-सारण के द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन के आलोक में प्रारंभ हुआ है। पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के पत्रांक 3950/गो0, दिनांक 05.08.2015 के द्वारा आवेदक से प्राप्त आवेदन के आलोक में जांच प्रतिवेदन संलग्न कर प्रेषित किया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र शाखा,सारण,छपरा के पत्रांक 445, दिनांक 20.08.2015 के द्वारा संचिका संख्या 36-40/2013 सुनवाई हेतु निदेशानुसार प्रेषित किया गया। दिनांक 03.09.2015 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। इस न्यायालय के ज्ञापांक 560, दिनांक 26.08.2015 के द्वारा आवेदक को सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए नोटिस निर्गत किया गया। इस न्यायालय के ज्ञापांक 556, दिनांक 26.08.2015 के द्वारा प्रभारी पदाधिकारी,जिला शस्त्र शाखा,सारण,छपरा से आवेदक के नाम से पहले से कोई शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत होने के बिन्दू पर प्रतिवेदन की मांग की गई। प्रभारी पदाधिकारी,जिला शस्त्र शाखा,सारण,छपरा के पत्रांक 458, दिनांक 02.09.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के नाम से पूर्व में राईफल की अनुज्ञप्ति निर्गत है, जिसकी संख्या 292/2008 है। आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में इससे संबंधित विवरणी अंकित नहीं की गई है। दिनांक 03.09.2015 को आवेदक उपस्थित हुए। उनकी उपस्थिति में सुनवाई की गई। उनके द्वारा बताया गया कि भूलवश उनके द्वारा आवेदन में पूर्व से निर्गत शस्त्र से संबंधित विवरणी का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके पीछे उनकी कोई गलत मंशा नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में वर्ष 2002 में उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के द्वारा थाना से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् उसे अंचल अधिकारी,गरखा को जांच हेतु भेजा गया था, जहाँ से प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की वजह से आगे की कार्रवाई बाधित रही। आवेदन के काफी पुराना होने के कारण उनके द्वारा दिनांक 30.11.2013 को एक नया आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक के द्वारा जान माल पर खतरें की आशंका को देखते हुए शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक,सारण,छपरा के द्वारा बताया गया कि आवेदक के नाम से पहले से एक राईफल की अनुज्ञप्ति निर्गत है। पुलिस प्रतिवेदन में किसी प्रकार के खतरें की आशंका से संबंधित कोई भी प्रतिवेदन अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में पुनः एक नये शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत पाया गया कि आवेदक के नाम से पहले से राईफल की अनुज्ञप्ति	

निर्गत है। इस बिन्दू पर आवेदन में विवरणी अंकित नहीं की गयी है। साथ ही, आवेदक के द्वारा अपने आवेदन के साथ संलग्न शपथ पत्र दिनांक 29.11.2013 के कंडिका 5 में भी कभी भी किसी शस्त्र के लिए आवेदन नहीं देने का उल्लेख किया गया है। इससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि आवेदक के द्वारा जान बूझ कर तथ्य छिपाने की कोशिश की गई है।

प्रभारी पदाधिकारी,जिला शस्त्र शाखा,सारण,छपरा को चाहिए था कि वे इस बिन्दू पर आवेदक से कारण पृच्छा करके सही वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त करते, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभारी पदाधिकारी,जिला शस्त्र शाखा,सारण,छपरा को निर्देश है कि भविष्य में,किसी भी आवेदक से कोई आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् तथा पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी या विरोधाभास पाया जाता है, तो अपने स्तर से उस बिन्दू पर अवश्य पत्राचार करना सुनिश्चित करें।

अभिलेख में रक्षित थानाध्यक्ष के प्रतिवेदन दिनांक 20.03.2015 की कंडिका 12 एवं 13 रिक्त है, जो आपत्तिजनक है। थानाध्यक्ष,गरखा के द्वारा दिनांक 20.03.2015 को हस्ताक्षरित स्थाई आदेश संख्या 04/05 की कंडिका 2 में आवेदक के नाम से राईफल की अनुज्ञप्ति निर्गत होने की विवरणी अंकित है। **थानाध्यक्ष के द्वारा निर्गत तीन प्रतिवेदनों में कही भी आवेदक के साथ कभी भी किसी प्रकार की कोई धटना धटने या उनके जान माल पर खतरें की आशंका से संबंधित कोई भी प्रतिवेदन अंकित नहीं है।** ऐसी परिस्थिति में आवेदक के नाम से एक दूसरे शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ। अतः भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-शस्त्र,दिनांक 31-03-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 7/अनु0-10-25/2010 गृह आरक्षी 3026, दिनांक 13.04.2010 के द्वारा प्रेषित है, के आलोक में आवेदक श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, पिता-स्व0 शिव कुमार सिंह, सा0-मिठेपुर, थाना-गरखा, जिला-सारण के द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति के लिए दाखिल आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2013 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

03/09/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

03/09/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

ज्ञापांक 6665 /न्या0, दिनांक 10/9/2015

प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक,सारण, छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र शाखा,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।

10/9/15